न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 3220 सन 2026
CNR. No.UPSP010075412026

रहमान पुत्र मोहतरम, निवासी ग्राम मुजाहिदपुर, थाना फतेहपुर, जिला सहारनपुर।
.........प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **...........विपक्षी।**

मु.अ.सं. 175/2025
धारा 303(2), 317(2) बी.एन.एस
थाना बिहारीगढ, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना पत्र

20.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **रहमान** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 31.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ जावेद पुत्र अफजाल का शपथपत्र दाखिल किया गया हैं, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में वर्तमान में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना एवं केस डायरी व अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी सचिन नाथ द्वारा थाना हाजा पर इस आशय की तहरीर दी गयी है कि दिनांक 24.11.2025 को वादी के घेर से उसकी एक भैंस व एक झोटा (भैंस का बच्चा) अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया। अतः कानूनी कार्यवाही किए जाने की याचना की गयी।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कर मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि वे निर्दोष हैं, उसे इस मामले में असत्य व निराधार तथ्यों के आधार झूठा व गलत फंसाया है। प्रार्थी का कथित घटना से किसी प्रकार का कोई मतलब वास्ता नही है। प्रार्थी के विरूद्ध उक्त धाराओं का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही हुई है। प्रार्थी एक अन्य वाद में जिला कारागार सहारनपुर में निरूद्ध था। प्रार्थी को जेल से तलब फरमाया जाकर उपरोक्त वाद में वांरट बनाया गया है। सहअभियुक्तगण सद्दाम, अबूजर व आलिम की जमानत अवर न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी है। प्रार्थी अन्य सभी मुकदमों में जमानत पर है। अतः प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जाये।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करत हुए, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने की याचना की है।

थाने से प्राप्त केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध की एक भैंस एवं एक झोटा (भैंस का बच्चा) चोरी करने एवं आवेदक/अभियुक्त के से कब्जे से चोरी की गयी भैंस व झोटा को बेचकर प्राप्त धनराशि के 5200/–रूपये बरामद होने का आक्षेप है। प्रस्तुत मामले की घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज

करायी गयी है। केस डायरी के अनुसार दौरान विवेचना पुलिस द्वारा आवेदक/अभियुक्त को अन्य वाद में गिरफतार किए जाने पर उसके कब्जे से 5200/–रूपये बरामद होने पर पूछताछ के दौरान उसके द्वारा इस अपराध की संस्वीकृति किए जाने के आधार पर उसका नाम इस मामले में प्रकाश में आना दर्शित है, परन्तु आवेदक/अभियुक्त की कथित प्रकार से गिरफतारी एंव उसके कब्जे से कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी होना दर्शित नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 31.12.2025 से न्यायिक अभिरक्षा में है। कथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। थाने से प्राप्त आपराधिक इतिहास में दर्शित अन्य मामलो में आवदेक/अभियुक्त की ओर से जमानत पर होने के सम्बन्ध में जमानत आदेश की प्रति दाखिल की गयी है।

अतः मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **रहमान** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 25,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के दाखिल करने पर, उसे निम्न शर्तो के अधीन अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने पर उपरोक्त अभियोग में जमानत पर रिहा किया जाए।

1. मामले के प्रत्येक सुनवाई पर आवेदक/अभियुक्त स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
2. आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा 351 बी0एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किए जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।
3. साक्षीगण के उपस्थित आने पर आवेदक/अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।
4. आवेदक/अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त भविष्य में इस प्रकार के अपराध कारित नहीं रहेगा।

उपरोक्त शर्तो के भंग होने पर न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित किया जाए।

दिनांकः–20.07.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
J.O. CODE- UP 1891